न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 01 / 2025(जी.सी.एम.एस.2025 / 05)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गुरबिलास सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति जटसिख निवासी 16/17 एच घनजातिया तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलकरण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 16/17 एच घनजातिया तहसील श्रीकरणपुर।		1.दलविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 ए.पी.डी. तहसील अनुपगढ। 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–14.01.2025

उपस्थितः1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण

––निर्णय–– **दिनांक : 27.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 23/24 के मुरब्बा नम्बर 19, 20, 92, 93, 108, 128/45, 128/47 की कुल 15.074 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 506/7537 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 506/7537 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 132/125 के मुरब्बा नम्बर 79 में 0.790 हैक्टेयर बारानी भूमि पर है। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चक 16/17 एच घनजातिया के मुरब्बा नम्बर 92 पर है। उक्त भूमि में आने-जाने के लिए प्रार्थीगण मुख्य सडक मुरब्बा नम्बर 93 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर जाती है, मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 की बट के साथ-साथ दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम अपने मुरब्बा नम्बर 92 के किला नम्बर 5 में प्रवेश करते है। उक्त रास्ता मौका पर दो-दो बिस्वा चालू है, जिसे प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 92 में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है, जिसे प्रार्थीगण मंजूर करवाना चाहते है। उक्त रास्ता पिछले 40-50 वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है और ना ही प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प उपलब्ध है। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से सम्पर्क करके रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में मंजूर करवाये जाने हेतु कहा तो उन्होनें साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2- बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।
3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2025/468 दिनांक 05.05.2025 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक मलकाना कलां मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक मलकाना कलां व पटवारी हलका मलकाना कलां द्वारा चक 16/17 एच के मुरब्बा नम्बर 92, 93 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 92 के किला नम्बर 5 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा में से रास्ते की मांग की गई है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 23/24 के मुरब्बा नम्बर 19, 20, 92, 93, 108, 128/45, 128/47 की कुल 15.074 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 506/7537 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 506/7537 हिस्सा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 92 के किला नम्बर 5 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, , 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि मि से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 की कुल 0.126 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बावत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस.}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर (श्रीगंगानगर) राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे द्वारा सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस.}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर (श्रीगंगानगर) राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/317 **दिनांक :- 27.05.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः-प्रकरण संख्या 01/2025 अनवान गुरबिलास सिंह आदि बनाम दलविन्द्र सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 27.05.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 93 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 की कुल 0.126 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थी को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर